आदेश पत्रक
(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

अनिता कुमारी पुत्री बीरबलसिंह जाति जाट निवासी दोलतपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)	—बनाम—	जरिनाबानो पत्नी रफीक वगैरह जाति कसाई निवासी झाझडियों की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

किस्म मुकदमा — दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा		मु.नं. 58/2025
07.04.2025	दावा वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री नेमीचन्द डुडी ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 07.05.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
	7/5/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली मय आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 11.6.25 को पेश हो।	
	11/6/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/7/25 को पेश हो।	
	9/7/25 वकील अन्य पक्षकार/प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4, 7, 9, की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र भास्कर उपस्थित है वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5, 6, 8 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने पर इन प्रकरण में इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 10 की ओर से पैरो० (फ०अ०) प्रतिवादी सं. 1 की ओर होना पत्रावली पर आया है पत्रावली वाले [illegible]	

14/8/25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली मय आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 17/10/25 को पेश हो।

ह.

25/9/25

प्रा.पत्र आज पत्रावली पेशी पर लेने का वादीया द्वारा पेश करने पर व स्वीकार होने पर पत्रावली पेशी पर ली गई। वकील वादी ने उपस्थित हो निवेदन किया कि वादीयां अपना वाद नहीं चलाना चाहती है। वाद वादी विड्रा कर खारिज किया जावे।

वादीया स्वयं अपना वाद नहीं चलाना चाहती है। लिहाजा वाद वापिस विड्रा किये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई

तारीख पेशी
17/10/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ।

अनिता कुमारी बनाम जरीना बानो आदि

दावा घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन मु.नं. 56/25

मु.नं.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है और वादीया व प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामे के आधार पर मौके पर समस्त विवाद का निस्तारण कर लिया है इसलिये वादीया उपरोक्त उनवानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है इसलिये उपरोक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब फरमाने की कृपा करें।

24.9.25

अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :– 24.9.25

प्रार्थीया / वादीया

अनिता कुमारी पुत्री बलबीर सिंह
जाति जाट निवासी दौलतपुरा सीकर
जिला सीकर राज. हाल आबाद
झाझडिया की ढाणी, बिरोल तहसील
नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

Rd.